



संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A3-120(1)/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमार्क विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक मई, 2023

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या : 1020 दिनांक 30.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें एस0ओ0एस0 जे0एन0 कौल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भीमताल, नैनीताल को बी0एससी0(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	एस0ओ0एस0 जे0एन0 कौल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भीमताल, नैनीताल।	बी0एससी0-गणित ग्रुप (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित) बी0एससी0-बायो ग्रुप (रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान)	60 सीट प्रति ग्रुप  60 सीट प्रति ग्रुप	2022-23  2022-23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- संस्थान यू0जी0सी0 विनियम 2009 के 3.4.7 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के तीन माह के भीतर

विश्वविद्यालय से फैकल्टी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

- विश्वविद्यालय संस्थान से Society Act/Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी तथ्यों का उल्लेख किया जाए।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman

Date: 14-05-2023 14:44:57

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 261 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-120(1)/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- एस0ओ0एस0 जे0एन0 कौल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भीमताल, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

-ह०-

(स्वाति एस0 भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।